लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड,देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2022—23

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लेखों सम्बन्धी कार्य किये जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का है, तथा उनकी ओर से उत्तराखण्ड के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड उत्तरदायी है। कोषागार राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामलों में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार आहरण एवं संवितरण अधिकारी और वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसके साथ ही लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियमों के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करवाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका में दिए गए प्रारूपों/दिशा निर्देशों एवं खण्ड–1 की कण्डिका 20.17 के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का वर्ष 2022–23 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है। यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है। द्वितीय भाग में लेखों की कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा तृतीय भाग में वर्ष 2022–23 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमितताओं का वृहत्तर रूप से विवरण दिया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

राजीव

स्थान : देहरादून
दिनांक : 12·07·2023

(राजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राक्कथन	1
2.	मुख्य अंश	3
3.	भाग–1 प्रस्तावना	4 से 8
4.	भाग–2 लेखा विसंगतियां	9 से 13
5.	भाग–3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियां	14 से 28
6.	परिशिष्ट–1 से 18	29 से 69

मुख्य अंश

1.	कोषागार अतंरापृष्ठीय **(Treasury Interface)** के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.1)**
2.	त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.3)**
3.	सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं।	**(पैरा 2.6)**
4.	वर्ष **2022-23** में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण।	**(पैरा 3.1)**
5.	नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.2.1)**
6.	उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।	**(पैरा 3.2.2)**
7.	वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ।	**(पैरा 3.3)**
8.	द्वितालक कक्ष में रखी गई बहुमुल्य वस्तुओं के संबंध में ।	**(पैरा 3.4.1)**
9.	कोषागार के द्वितालक कक्ष में **₹** 12,47,22,310 / – गैर न्यायायिक स्टाम्पों का निष्प्रयोज्य पाया जाना।	**(पैरा 3.4.2)**
9.	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।	**(पैरा 3.5.1)**
10.	अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।	**(पैरा 3.5.2)**
11.	कोषागार डाटा बेस में 179 पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।	**(पैरा 3.5.3)**
12.	विभिन्न एजेंसी बैंको द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् राज्य के खाते में जमा धनराशियों पर दण्डात्मक ब्याज की गणना न किया जाना।	**(पैरा 3.6)**
13.	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.11)**

भाग–एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2022–23

भाग–1 : प्रस्तावना

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग–4 (2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार निदेशक, कोषागार (पेंशन एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागारों/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एंव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार कोषाधिकारी एवं उपकोषागार उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011, दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों को कोषागार की भाँति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

1.2 संरचना/ संगठन :

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2022-23 में कुल 19 कोषागार हैं (19 कोषागारों में एक, कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या केवल 18) एवं 70 उपकोषागार हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित एक साईबर कोषागार एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, कोषागार के रूप में कार्यरत हैं तथा लेखे प्रस्तुत करते हैं, अर्थात् राज्य में 13 सदर कोषागार तथा 6 कोषागार (कुल 19 कोषागार) 01 भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 01 साईबर कोषागार एवं 70 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत हैं।

परिशिष्ट–(01)

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:–

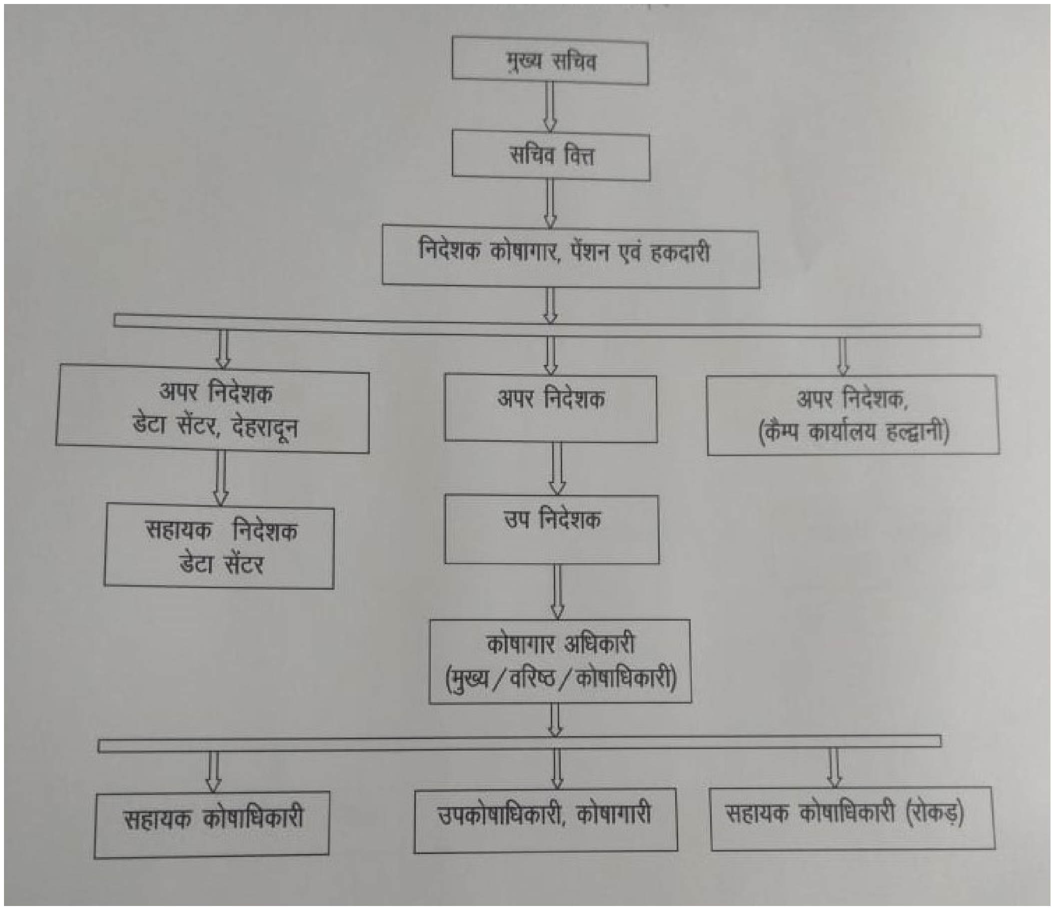

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ का उपयोग किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जाना निर्धारित है। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक/सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जाना था।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सीलड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है।

1.3.1 वर्ष 2022-23 में राज्य के कोषागारों एवं उपकोषागारों के वार्षिक निरीक्षण से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उत्तराखण्ड में कोविड–19 महामारी के नियमों का पालन करते हुए निर्धारित सभी 22 कोषागारों (निदेशक

कोषागार पेंशन एवं हकदारी, देहरादून एवं वेतन एवं भुगतान कार्यालय, नई दिल्ली को सम्मिलित करते हुए) एवं 35 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया है।

1.3.2 कोषागारों में कर्मचारी वर्ग की स्थिति–कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग **35.62** प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2020-21	1012	712	300	29.64
2021-22	1002	634	368	36.73
2022-23	1019	656	363	35.62

1.4 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के अंतर्गत निम्न पदों की स्थापना की गयी है :–

1 निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी , देहरादून।
2 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,मुख्यालय, देहरादून।
3 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी।
4 अपर निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।
5 उप निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,मुख्यालय, देहरादून।
6 सहायक निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।

1.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) का कियान्वयन :

1 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत और स्वचालित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली **(IFMS)** लागू की गई है। इस प्रणाली से उपयोगकर्ताओं को एक "एण्ड टू एण्ड लेनदेन" का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के प्रयोगार्थ एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत शासन, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष के मध्य एकरूपता स्थापित की जानी थी। आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा पारदर्शी तरीके से नियत समय में राज्य के भुगतान संभव हो पा रहे हैं तथा व्यय से सम्बन्धित लेखांकन समेकित प्रक्रिया द्वारा त्वरित गति से संकलित हो रहे हैं।

IFMS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत निम्नलिखित मॉडयूल्स विकसित कर लिए गए हैंः–

1. पेरोल
2. पेंशन
3. बजट
4. एच.आर.एम.एस.

5. एकाउन्टिंग
6. बिल्स
7. टैक्सेशन
8. वर्क्स एकाउन्टिंग
9. ई–चालान
10. सोसाईटी एण्ड फर्म्स
11. एन.पी.एस.
12. इंटीग्रेशन–पी.एफ.एम.एस.,जी.एस.टी., ई–कुबेर आदि
13. एस.जी.एच.एस.

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

भाग-2 : लेखा विसंगतियां

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियां/विसंगतियांः

2.1 कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (Nil payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

2.2 मासिक लेखों में गलत / त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2022-23 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेखा संशोधन का विवरण **परिशिष्ट–(02)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(02)

2.3 त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैन्युअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2022-23 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या फिर मिलान आंशिक रूप से कराया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों की वित्तीय वर्ष 2022-23 में चतुर्थ त्रैमास तक मिलान आख्या–

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीस त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	18	33	24	45	17	40	37	56
आंशिक मिलान	14	21	03	08	21	16	07	06
मिलान नहीं कराया	16	08	21	09	10	06	04	00
कुल	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**
मिलान आख्या (प्रतिशत् में)	**67**	**87**	**56**	**85**	**79**	**90**	**92**	**100**

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय–व्यय मिलान की स्थिति **परिशिष्ट–(03)** में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–(03)

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्रैमासिक आय–व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–(04)** में दर्शायी गयी हैं।

परिशिष्ट–(04)

2.4 मार्च, 2023 की मासिक लेखा समाप्ति पर तद्दिनांक तक ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष	ए0सी0 बिल आहरित		डी0सी0 बिल		लंबित ए0सी0 बिल	
	Items	Amount in ₹	**Items**	**Amount in ₹**	**Items**	**Amount in ₹**
2021–22	**321**	**93,45,50,597**	**284**	**82,85,89,240**	**37**	**10,59,61,357**
2022–23	**271**	**8,97,80,702**	**234**	**8,20,97,479**	**37**	**76,83,223**
योग	**592**	**1,02,43,31,299**	**518**	**91,06,86,719**	**74**	**11,36,44,580**

2.5 मासिक लेखों की प्राप्ति में विलम्ब।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना समस्त कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को ससमय कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार को निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। प्रत्येक माह के लेखे अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है ताकि संकलित लेखे आगामी माह की 25 तारीख तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा सकें। परन्तु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कोषागारों द्वारा **01** से **09** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये। विवरण **परिशिष्ट–(05)** में दिया गया है।

सभी कोषागारों द्वारा नियत तिथि का पालन न करने से राज्य सरकार को मासिक लेखें ससमय प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।

परिशिष्ट–(05)

2.6 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं ।

2.6.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 में 14 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि भुगतान से सम्बन्धित 58 प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया गया। इसका विवरण **परिशिष्ट–(06)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(06)

2.6.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 3 प्रकरण जोकि 90 प्रतिशत् से अधिक भुगतान से सम्बन्धित है, संज्ञान में आये हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(07)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(07)

2.6.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3 कोषागारों के कुल 3 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या एवं नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस पर पोस्ट नहीं किया जा सका है, जिसके कारण उक्त अवधि में कुल धनराशि **₹** 31500/–वर्तमान में असूचित (Un-Posted) में दर्ज हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(08)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(08)

2.6.4 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 20 कोषागारों की प्राप्ति के Full want/Part want के कुल 634 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित है। इसका विवरण **परिशिष्ट–(09)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(09)

2.7 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों में कमियां/विसंगतियां पाया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत संस्थागत ऋणों के स्वीकृति आदेशों में ऋणों से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें जैसे ब्याज दर, मोरेटोरियम पीरियड, ऋण की अवधि, किश्तों की संख्या को अंकित नहीं किया जाता है।

संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के चालानों पर इस कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले एस0एल0आर0 संख्या को अंकित नहीं किया जा रहा है जिस कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त ऋणों के लेखों के रखरखाव में असुविधा हो रही है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खारिज ऋणों एवं ऋण जिन्हें इक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है, की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

2.8 मुख्य लेखाशीर्ष 8793 से सम्बन्धित कमियां/विसंगतियां पाया जाना।

कोषागारों द्वारा अन्य राज्य पेंशन 8793 से संबंधित प्राप्त वाउचर/चालान में गलत वर्गीकरण किया जा रहा है जिसके कारण प्रति माह Correction of Accounts बनाना पड़ता है और प्रत्येक माह लेखा संशोधित करना पड़ता है। यह त्रुटी डाटा सेंन्टर द्वारा हो रही है, जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर के दावे निदेशक कोषागार द्वारा प्रायः विलम्ब से प्रेषित किये जाते हैं जिसके कारण प्रतिपूर्ति भी विलम्ब से हो रही है। परिणामस्वरूप उच्चंत लेखाशीर्ष में धनराशि प्रदर्शित हो रही है जिसका समायोजन तद्दिनांक तक नहीं किया जा सका है।

2.9 वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्त तक सहायक अनुदान के सापेक्ष में ₹864.33 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2020-21	338	10,16,32,26,000	337	9,96,02,77,000	01	20,29,49,000
2021-22	301	11,80,91,66,000	34	3,36,88,27,000	267	8,44,03,39,000
योग	**639**	**21,97,23,92,000**	**371**	**13,32,91,04,000**	**268**	**8,64,32,88,000**

2.10 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ।

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेन्सी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों से प्राप्त एजेन्सी बैंकों की वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई। उक्त का निपटान इस कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर कोषागारों द्वारा (जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक/एजेन्सी बैंक के behalf पर descrepancies ना हो) शीघ्रतम किया जाना प्रावधानित है। परन्तु कोषागारों द्वारा विसंगतियों का निपटारा अत्यधिक विलम्ब से या किया ही नहीं जा रहा है। जिस कारण इस कार्यालय की आर0बी0डी0 ब्राडशीट में माह मार्च, 2023 (अनुपूरक) तक कुल विसंगति ₹ 18,59,82,322.58 डेबिट एवं ₹ 1,49,57,27,504.32 क्रेडिट आर0बी0डी0 सस्पेन्स में विद्यमान है। कोषागार वार विवरण **परिशिष्ट–(10)** में दर्शाया गया है।

2.11 वैलिडेशन सेल से सम्बन्धित कमियों/त्रुटियों का पाया जाना।

कोषागारों द्वारा एन0पी0एस0 की कटौती मुख्य लेखाशीर्ष 8342–01–117 में की जा रही है जबकि यह मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची (महालेखानियंत्रक द्वारा जारी) के अनुसार लेखाशीर्ष 8342–00–117 में की जानी चाहिये। इसके अलावा एस0जी0एच0एस0 की कटौती बिना किसी लेखाशीर्ष के की जा रही है जो नियमानुकूल नहीं है।

2.12 कोषागारों द्वारा प्रेषित मुख्य लेखाशीर्ष 8000 (राज्य आकस्मिकता निधि) से आहरित धनराशि के अधिकतम Physical वाउचरों में सचिव (वित्त) के स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं होते हैं। अतः मुख्य लेखाशीर्ष 8000 के वाउचरों के साथ सचिव (वित्त) के स्वीकृति आदेश संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।

2.13 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल–22 से मार्च–23 तक विभिन्न कोषागारों द्वारा अनधिकृत लेखाशीर्षो में व्यय एवं प्राप्तियों का पुस्तांकन किया गया है जो कि नियम संगत नहीं है। इस हेतु कोषागारों से संशोधित लेखे प्राप्ति हेतु पत्राचार भी किया गया है।

2.14 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोषागारों से संबंधित त्रुटियों के सुधार हेतु Transfer Entry के माध्यम से समायोजन नहीं किया गया है।

भाग- तीन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ/त्रुटियाँ

''भाग-3: कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियां''

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें :

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 22 कोषागारों तथा 35 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2022–23 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण **परिशिष्ट–(10)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(10)

अनुशंसाः–निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2022–23 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2022–23	122	526
वर्ष के दौरान निरीक्षण	57	817
वर्ष के दौरान निस्तारण	20	265
वर्ष के अन्त में शेष	**159**	**1078**

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों के विगत तीन वर्षों का विवरण :–

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2020–21 तक	88	126
2021–22	14	135
2022–23	57	817
योग	**159**	**1078**

3.2 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँः–

3.2.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या–21/XXVII(7)/CPS/2005 दिनांक 25-10-2005 के अनुसार नई पेंशन स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + डी0ए0) का 10 प्रतिशत् कटौती और 14 प्रतिशत् राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नवनियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके ''खाता संख्या'' का आवंटन करायें परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कटौती नहीं की जा रही है।

परिशिष्ट—(11)

3.2.2 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागारों का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—2 के नियम 469—क (ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए तथा दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—2 के **परिशिष्ट—(21)** के अनुसार जिला कोषागार का निरीक्षण वर्ष में एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। जिसका विवरण **परिशिष्ट—(12)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट—(12)

3.3 वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ।

3.3.1 तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित पी0एल0ए0 खातों को बंद न करने के संबंध में।

श्उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 17/21/XXVII(10)/2015/2019 दिनांक 08.01.2020 के बिन्दु 4 के अनुसार यदि किसी वैयक्तिक लेखा खाते में 03 वर्ष तक कोई भी लेन—देन न हो, तो ऐसे खाते को बंद करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध किया जाएगा। यदि लिखित अनुरोध की तिथि से 03 माह तक सक्षम प्राधिकारी का उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार के परामर्श से यदि खाते में कोई धनराशि अवशेष है, तो उसे सुसंगत लेखाशीर्ष के अंतर्गत Minor Head-911 Sub Head-03 में जमा कर बंद कर दिया जाएगा। उक्त आदेश के बिन्दु सं0 6 (2) के अनुसार अगर किसी धनराशि का लेखाशीर्ष ज्ञात न हो तो सक्षम अधिकारी से इस आशय का लिखित अनुरोध किया जाएगा कि इस धनराशि को लेखाशीर्ष 2075—00—911—03—00 में जमा कर खाते को बंद किया जाएगा।

वर्ष के दौरान जमा से संबंधित लेखों के निरीक्षण में पाया गया कि फरवरी, 2014 से **निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण, चौबटिया, रानीखेत** के नाम से वैयक्तिक लेखा खाते में 18 लाख अवशेष पड़े हुए हैं।

3.3.2 वार्षिक व्यपगत जमा का विवरण महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के पैरा 351(A) एवं 352(A) के अनुसार जमा मद (Deposit) में भुगतान यदि तीन वर्ष के समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी जमा राशि को शासकीय खाते में जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के पश्चात् व्यपगत (Lapse) किया जाना प्रावधानित है। तद्उपरान्त इसका भुगतान

महालेखाकार के स्वीकृति आदेश पर किया जाता है। कोषागार निरीक्षण में पाया गया कि इस नियम का पालन विभिन्न कोषागरों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप कोषागार चम्पावत के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31/03/2019, 31/03/2021,एवं 31/03/2022,को समाप्त वित्तीय वर्षो से संबंधित व्यपगत विवरण महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया गया है जबकि कोषागार के अभिलेखों के अनुसार मुख्यशीर्ष 8443—00—104 (Civil Court Deposits) में निम्न धनराशि व्यपगत होनी थीः—

Sl. No.	Date of deposit	Month of Deposit	Amount Rs. in (₹)
1	03/04/2017	04/2017	1,785
2	20/05/2017	05/2017	1,500
3	19/06/2017	06/2017	2,360
4	22/09/2017	11/2017	255
5	22/09/2017	11/2017	300
6	04/12/2017	12/2017	2,400
7	08/12/2017	12/2017	1,200
8	16/12/2017	12/2017	240
9	27/12/2017	12/2017	2,500
10	09/04/2018	04/2018	2,360
11	01/06/2018	06/2018	1,600
12	07/01/2019	01/2019	1,800
13	07/02/2019	02/2019	1,500
14	25/03/2019	03/2019	33,737
Total			**53,837**

3.3.3 व्यपगत जमा का गलत लेखा शीर्ष से भुगतान किया जानाः—

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार लेखा वर्गीकरण 8443—00—104—(उत्तराखंड बजट संहिता के अनुसार) सिविल डिपोजिट में जमा ऐसी मदें जिन्हें जमा हुए तीन कैलेंडर वर्ष से अधिक हो गये हैं, को Lapsed डिपाजिट के नामे कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में बुक कर लिया जाता है।

महालेखाकार द्वारा यह धनराशि लेखाशीर्ष 0075 में लेखांकित की जाती है। उक्त धनराशि का भुगतान जब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाना होता है, तब माननीय न्यायालय के आदेश व कार्यालय महालेखाकार की स्वीकृति (जिसमें परिलक्षित है कि भुगतान लेखाशीर्ष "2075" से किया जाना है।) के पश्चात् आहरण—वितरण अधिकारी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर कोषागार के द्वारा किया जाता है।

कोषागार हल्द्वानी द्वारा उपरोक्त के संबंध में किए गए भुगतान की जांच की गई तो यह पाया गया कि कोषागार ने वाउचर संख्या दिनांक B84430019 दिनांक 07.09.2021 से रु0 21012.00 का भुगतान लेखा वर्गीकरण 8443—00—104—00—00—00 से किया है। जबकि सम्बंधित लेखा ऐसा ही एक भुगतान वाउचर संख्या B00750001 दिनांक 25.01.2022 से रु0 53500.00 को पहले लेखा वर्गीकरण 0075—00—800—00—00 में बुक किया व फिर उसका भुगतान वाउचर संख्या B00750001 दिनांक 25.01.2022 से लेखा वर्गीकरण 0075—00—900—00—00 से किया है। एक ही प्रकार/प्रणाली के भुगतान को दो अलग लेखा वर्गीकरण 8443—00—104—00—00—00 व 0075—00—900—00—00 से किए जाने व दोनों ही भुगतानों में कार्यालय महालेखाकार के निर्देशानुसार लेखाशीर्ष 2075 से भुगतान न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है।

3.4 द्वितालक कक्ष में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में।

3.4.1 द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 38(ग) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार के द्वितालक कक्ष में सील बन्द पैकेट के रूप में रख सकते हैं तथा ऐसे सभी पैकेटों का प्रति वर्ष मई माह में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन कर पुनः सुरक्षित द्वितालक कक्ष में सील बन्द कर रखा जाना चाहिए। निरीक्षण किये गए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कोषागारों के द्वितालक कक्ष में रखी बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों द्वारा न करके नियमों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	अल्मोड़ा
2	नरेन्द्रनगर
3	पौड़ी
4	रूद्रप्रयाग
5	ऊधमसिंहनगर
6	चम्पावत
7	गोपेश्वर
8	लैन्सडोन
9	नरेन्द्रनगर
10	नई टिहरी
11	रूद्रप्रयाग

3.4.2 कोषागार के द्वितालक कक्ष में ₹ 12,47,21,310/– गैर न्यायायिक स्टाम्पों का निष्प्रयोज्य पाया जाना।

कोषागार देहरादून एवं कोषागार पौड़ी के द्वितालक कक्ष के निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार के द्वितालक कक्ष में गैर न्यायायिक स्टाम्पों का भंडारण है। जिसका वर्तमान समय में कोषागार स्तर से विक्रय नही हो रहा है। इसी प्रकार उपकोषागार गोपेश्वर के द्वितालक कक्ष में गैर न्यायिक स्टाम्प (Non Judicial Stamp) लगभग 1 वर्ष 6 माह से अनुपयुक्त पड़े हैं कोषागार के स्टाम्प से संबंधित मार्च–2022 के प्लस माइनस मेमोरेंडम के अनुसार वर्ष 2021–22 की नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प की ब्रिकी ₹ 7,41,060/– थी। इससे स्पष्ट है कि ब्रिकी न्यूनतम है। साथ ही उपकोषागार लैन्सडाउन के द्वितालक कक्ष में जमा जनरल स्टाम्पों (Non Judicial Stamp) का भण्डारण अनावश्यक है। वर्तमान में ई–स्टाम्पिंग के उपयोग होने के कारण से पुराने स्टाम्पों की बिक्री शून्य है। उपकोषागार चकराता में स्टॉक होल्डिग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 के साथ ई–स्टाम्प प्रणाली संचालित होने के कारण निम्न प्रकार के मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक स्टाम्प (Non Judicial Stamp) अप्रयुक्त पाए गए हैं। कोषागार रूड़की के स्टाम्प के भंडारण के अभिलेख/पत्रावली की जाँच करने पर पाया गया कि ज्यूडीशीयल स्टाम्प, जिनकी बिक्री विगत वर्षों से शून्य है, वर्तमान में उत्तराखण्ड़ राज्य में ई–स्टाम्प प्रणाली भी लागू है लेकिन कोषागार को अपने स्टाक में रखे स्टाम्प को भी बिक्री करने का प्रयास करना चाहिए। यदि बिक्री नही हो पा रही है तो राज्य के मूल भंडारण को नियमानुसार वापिस किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे राज्य के अन्य स्थानों पर स्टाम्प की बिक्री हो सके एवं राज्य के राजस्व में भी बढोतरी हो सके। समस्त कोषागारों एवं उपकोषागारों के द्वितालक कक्ष में कुल रू0 12,47,22,310 के स्टाम्प का भण्डारण है। जिसका विवरण निम्नवत् हैं:–

कोषागार / उपकोषागार का नाम	एक स्टाम्प का मूल्य (₹)	स्टाम्प की संख्या	स्टाम्प की कुल धनराशि (₹)
पौड़ी	10	190	1900
	100	8679	8,67,900
	500	5135	25,67,500
	1000	2721	27,21,000
	5000	2827	141,35,000
	10000	974	97,40,000
	15000	242	36,30,000
	20000	577	1,15,40,000
	25000	310	77,50,000
		योग	**5,29,53,300**
देहरादून	10	5	50
	500	5821	29,10,500
	1000	971	9,71,000
	10000	3019	3,01,90,000
	15000	306	45,90,000
	25000	3	75,000
		योग	**3,87,36,550**
गोपेश्वर	10	100	1,000
	500	6802	34,01,000
	1000	4887	48,87,000
	5000	309	15,45,000
		योग	**98,34,000**
लैन्सडोन	20	3	60
	50	222	11,100
	500	1266	6,33,000
	1000	2899	28,99,000
	5000	136	6,80,000
		योग	**42,23,160**
चकराता	10	330	3,300
	500	4	2,000
	1000	2	2,000
		योग	**7,300**
रूड़की	1000	782	7,82,000
	5000	637	31,85,000
	25000	600	15,000,000
		योग	**1,89,67,000**
		कुल योग	12,47,21,310

उत्तराखण्ड राज्य में ई–स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोषागार / उपकोषागार में उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न श्रेणी के स्टाम्प अतिरिक्त मात्रा में द्वितालक कक्ष में विद्यमान हैं उल्लेखनीय है कि वर्तमान में

ई–स्टाम्प बैंकों के माध्यम से भी जारी किया जा रहा है। उक्त निष्प्रयोज्य स्टाम्पों की बिक्री कोषागार से नहीं होने से निस्तारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

3.4.3 कोषागार के द्वितालक कक्ष में **Cheque Books** का अनुपयोगी पाया जाना।

01.04.2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त Cheque Books का कोई उपयोग नहीं है। उक्त Cheque Books को नियमानुसार Dispose off किया जाना जरूरी है, ताकि किसी भी दुरूपयोग से बचा जा सके। कोषागार पौड़ी एवं कोषागार देहरादून के निरीक्षण में कुल 718 Cheque Books अनुपायोगी पायी गयी हैं। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

कोषागार/उपकोषागार का नाम	क्रम संख्या	विवरण	मदों की संख्या
पौड़ी	1.	PLA Cheques	43
	2.	Re- Payment Cheque Books	02
	3.	C.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M.Irrigation: Irrigation Cost. Div. :	 24 27 17 20
	4.	D.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M. Irrigation: RES : Irrigation Cost.Div. :	 23 24 16 07 22
		योग	**225**
देहरादून	1.	PLA Cheques	56
	2.	Other Treasury	15
	3.	C.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M.Irrigation: RES:	 41 83 20 04
	04.	D.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M. Irrigation: RES : PWD DLL :	 91 44 14 16 109
		योग	**493**
		कुल योग	**718**

3.4.4 कोषागार में डबल लॉक के बाहर स्थापित अग्निशमन उपकरणों की ससमय रिफिलिंग न करवाया जाना।

कोषागार/उपकोषागार में आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित होने चाहिए। कोषागार के महत्वपूर्ण अभिलेखों/उपकरणों (कम्प्यूटर आदि) तथा बहुमूल्य मदों/स्टाम्पों की सुरक्षा हेतु उक्त से सम्बन्धित सभी कमरों के बाहरी दीवारों पर अग्निशमन अधिकारी की अनुशंसानुसार अग्निशमन यंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे अचानक आग लगने की स्थिति में इनका प्रयोग कर कोषागार की आग से सुरक्षा की जा सके। परन्तु निम्न कोषागार/उपकोषागार में स्थापित अग्निशमन यंत्रों को रिफिलिंग की समाप्ति तिथि निकल जाने के पश्चात् भी रिफिलिंग नहीं करवायी गयी जो कि बहुत गम्भीर लापरवाही है तथा ऐसी स्थिति में आगजनी की घटना में काफी हानि होने की प्रबल संभावना है।

कमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	अग्निशमन यंत्रों की संख्या
1	ऊधमसिंहनगर	16
2	नरेन्द्रनगर	02
3	कालाढूंगी	04

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.10.2010 को कोषागार नैनीताल के भवन में हुए भीषण अग्निकांड के कारण कोषागार में अभिलेखों एवं भवन को भारी नुकसान पूर्व में हो चुका है।

3.4.5 द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु निर्धारित पुलिस गार्ड के सापेक्ष कम नियुक्ति/तैनाती होना।

कोषागारों के द्वितालक/एकतालक कक्ष की सुरक्षा से सम्बन्धित स्वीकृत/निर्धारित गार्ड का पुलिस अधीक्षक का आदेश एवं गार्डवीट की जांच में पाया गया कि उक्त द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु स्वीकृत बीट संतरी के सापेक्ष कम संतरियों की तैनाती पायी गई जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	स्वीकतृ बीट संतरी के पद	तैनात बीट संतरियों की संख्या
1	रूप्रप्रयाग	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल एवं 02 कांस्टेबल
2	ऊधमसिंहनगर	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	01 कांस्टेबल
3	चम्पावत	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल 1 कांस्टेबल
4	गोपेश्वर	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल 0 कांस्टेबल
5	पिथौरागढ़	02 हैड कांस्टेबल 7 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल 3 कांस्टेबल

पुलिस गार्ड की मानक के सापेक्ष कम तैनाती द्वितालक कक्ष की सुरक्षा के प्रति उदासीनता एवं जोखिम भरा कदम है।

3.5 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं ।

3.5.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त

सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। विवरण **परिशिष्ट–(13)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(13)

3.5.2 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को देय चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ता है तथा साथ ही ऐसे आदेशों का उल्लंघन भी हो रहा है। विवरण **परिशिष्ट–(14)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(14)

3.5.3 कोषागार डाटा बेस में 179 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80,85,90,95 एवं 100 वर्ष की आयु–वर्ग के पेंशनरों को मूल पेंशन के अलावा 20,30,40,50 एवं 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने के प्रमाण–पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए ऐसे प्रमाण–पत्र को (जो लागू हों) सम्बन्धित पेंशनर के सेवानिवृत्ति माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि, जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है। अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अति आवश्यक है ताकि उक्त आदेश की निगरानी/नियंत्रण किया जा सके एवं पात्र पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। विवरण **परिशिष्ट–(15)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(15)

3.5.4 पश्चिम बंगाल सरकार के पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान न किया जाना।

पश्चिम बंगाल सरकार के शासनादेश संख्या 256-F(Pen)/1P-1(16)/11 दिनांक 29.05.2019 के अनुसार वर्ष 2019 में Ex-gratia ₹ 2,100/–1725-F(P2) दिनांक 13.05.2020 के अनुसार वर्ष 2020 में Ex-gratia ₹ 2,200/–, 1494-F(P2) दिनांक 06.05.2021 के अनुसार वर्ष 2021 में Ex-gratia ₹ 2,500/– और 1573-F(P2) दिनांक 18.04.2022 के अनुसार वर्ष 2022 में Ex-gratia ₹ 2,700/–का भुगतान किया जाना था किन्तु उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान निर्धारित दरों से नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार / उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	2019	2020	2021	2022	कुल राशि (₹) में
1	देवाल	8	2100	शून्य	शून्य	शून्य	2,100
2	देवप्रयाग	5	2000	2200	2500	2700	9,400
3	गैरसैंण	10	2100	शून्य	2500	शून्य	4,600
4	घाट	12	2100	2200	2500	शून्य	6,800
5	कोटद्वार	8	2100	2200	2500	2700	9,500
6	रूड़की	2	शून्य	2100	2200	2500	6,800
7	सतपुली	98	शून्य	2200	2500	2700	7,400
8	देहरादून	5	2100	2200	2500	शून्य	6,800
9	बडकोट	1	2100	2200	2500	2700	9,500

3.6 विभिन्न एजेंसी बैंको द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् राज्य के खाते में जमा धनराशियों पर दण्डात्मक ब्याज की गणना न किया जाना।

भारतीय रिजर्व बैंक के Memorandum of instruction/Circular DGBA-GAD 1377/31.4.008/2002-2003, दिनांक 22.02.2003 के पैरा 5.11, उत्तरवर्ती Circular DGBA-GAD-No.-H-14061/31.04. 008/2006-07, दिनांक 21.03.2007 और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के उपरान्त जारी 'Standard Operating Procedure for Reserve Bank Deposits' के पैरा–7 के निर्देशानुसार कोषाधिकारियों / उपकोषाधिकारियों द्वारा अपने कोषागार / उपकोषागार में प्राप्त Scrolls/Challans की Scrutiny कर (उक्त परिपत्रों में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार) ऐसी सरकारी प्राप्तियों पर, जिन्हें सम्बन्धित एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय–समय पर नियमानुसार यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् सरकारी लेखों में जमा कराया है, पर दण्डात्मक ब्याज की गणना कर सम्बन्धित एजेंसी बैंक के लिंक सैल से उक्त का दावा किया जाना व उक्त दावे सम्बन्धित अभिलेख या विवरण की प्रति उपरोक्त वसूली पर निगरानी हेतु कार्यालय महालेखाकार को भेजा जाना प्रावधानित है।

ऐसे कोषागारों / उपकोषागारों का विवरण निम्नवत् है जिनके स्तर पर दण्डात्मक ब्याज की गणना नहीं की गई है :–

क्रमांक	कोषागार / उपकोषागार का नाम
1	अल्मोड़ा
2	चम्पावत
3	देवप्रयाग

3.7 कोषागार / उपकोषागार में IFMS प्रणाली से सम्बन्धित अनियमितताओं एवं त्रुटियों का पाया जाना।

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या XXVII (6)/430,d/2008/2019 दिनांक 19.03.2019 सहपठित 480/XXVII (6)/430 एक/2016/2019 दिनांक 11.12.2020, XXVII (6)/430 एक/2018/2019 दिनांक जुलाई, 2019 द्वारा राज्य में IFMS प्रणाली लागू की गयी एवं स्पष्ट निर्देश कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारियों को उक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये कि पूरा काम IFMS प्रणाली के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

कोषागार हल्द्वानी, कोषागार पौडी, उपकोषागार थत्यूड़, कोषागार देहरादून, कोषागार नरेन्द्रनगर, कोषागार ऊधमसिंहनगर, उपकोषागार बाजपुर, उपकोषागार किच्छा, उपकोषागार गदरपुर, कोषागार नैनीताल एवं वेतन एवं भुगतान कार्यालय नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के निरीक्षण में लेखों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच IFMS Portal (नमूना माह मार्च, 2023) पर किये जाने पर निम्नलिखित त्रुटियां पायी गई हैं:–

1- वाउचरों पर e-sign नहीं हैं।

2- अधिकतर वाउचरों के साथ कोई संलग्नक अपलोड नहीं है (उदाहरणः— वाउचर संख्या बी.27000001 दिनांक 03.03.2022 एवं बी.27000026 दिनांक 16.03.2022, वाउचर संख्या A20540012 दिनांक 25.03.2022, वाउचर संख्या बी.20530103, वाउचर B20540004 Dated 19.09.2022)।

3- Cash Account में कई Major Head के Details of Head Code में केवल Major Head ही प्रदर्शित हैं। उत्तरवर्ती कोई description (Sub Major Head-Minor Head-Sub Head-Detailed Head-Object Head) प्रदर्शित नहीं है।

4- Cash Account में कई Major Head के Details of Head Code में short description प्रदर्शित नहीं हैं। (उदाहरणतः Details of Head code 0030 में लेखा वर्गीकरण 0030—02—103—00—00 का short description दर्ज नहीं है)।

5- ऐसे पेंशनर्स जो 09.11.2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश में कार्यरत थें, तत्पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य बनने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य में अपनी सेवायें दीं और सेवानिवृत्त हो गये, के Pension वितरण करते समय Detailed Head 02 को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है 2071-01-109-03 01- U.P. 12 एवं 2071-01-109-03-02-उत्तराखण्ड Pension & Retirement Benefit नियमतः 01 Detailed Head के अन्तर्गत एक ही Amount दर्शाना/बुक करना प्रावधानित है।

6- IFMS के अन्तर्गत कोषागार के अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों का डाटाबेस में कुल 81 आहरण वितरण अधिकारी का ई0—मेल आई0 डी0 तथा फोन नम्बर नहीं पाया गया है। आहरण वितरण अधिकारियों का डाटाबेस IFMS में डी0डी0ओ0 के द्वारा इंगित करने पर कोषाधिकारी द्वारा Update किया जाता है। कोषागार स्तर पर केवल कर्मचारियों के कोड संख्या अपडेट की जाती है।

7- वेतन देयकों के निरीक्षण में पाया गया कि वेतन वाउचर में एस.जी.एच.एस. की कोई कटौती अंकित नहीं है। जबकि उसके समर्थित दस्तावेज इनर शीट में उक्त कटौती अंकित है। इस आधार पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से एस.जी.एच.एस. की कटौती तो की जा रही है किन्तु इसका कोई लेखा—जोखा किसी सरकारी लेखा वर्गीकरण में नहीं रखा गया है।

8- इसी प्रकार वेतन देयकों में NPS की कटौती को लेखाशीर्ष 8342011170301 में दर्शाया जा रहा है जबकि महालेखानियंत्रक, लेखा द्वारा निर्गत मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची के अनुसार उक्त लेखाशीर्ष में कोई उप मुख्य शीर्ष नहीं है। इस प्रकार NPS की कटौती को लेखाशीर्ष 8342001170301 में दर्शाया जाना चाहिये।

9- Details of Head code में लेखाशीर्ष (0029, 0030, 0039, 0040, 0041, 0043, 0055, 0853, 8670—उप नमूना लेखा शीर्ष) में कपितय लेखा वर्गीकरण उत्तराखंड बजट संहिता 2021—22 के अनुसार पूर्ण नहीं हैं। (कोषागार हल्द्वानी)

10- वाउचर सं A86580001, A86580002, B86580014, A87930026 (उप नमूना वाउचर) में आहरण वितरण अधिकारी व कोषाधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर नहीं हैं। (कोषागार हल्द्वानी)

11- माह 3/2022 के CASH A/CS के लेखाशीर्ष 4401 (₹ 400188/—) में जमा किये गये चालानों में अनुदान संख्या प्रदर्शित नहीं है। (कोषागार नैनीताल)

12- आकस्मिक देयक प्रपत्र वाउचर संख्या बी.80000003 दिनांक 31.03.2022 के क्रम संख्या 12. अधिष्ठान का नाम के अन्तर्गत भी आहरण वितरण अधिकारी का नाम ही प्रदर्शित हो रहा है जबकि इस स्थान पर संबंधित अधिष्ठान का नाम यथा स्थानिक आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड नई दिल्ली/ उत्तराखण्ड सदन नई दिल्ली/विनिवेश आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड नई दिल्ली/उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली आदि में से एक होना चाहिये। (वेतन एवं भुगतान कार्यालय नई दिल्ली)

3.8 कोषागार में **IFMS Portal** में **IT Security** मानक स्तर का नहीं होना।

कोषागार देहरादून में IT security के निरीक्षण में IFMS Portal के Application में निम्न कमियॉ पाई गई जो IT Security के मानक स्तर के अनुरूप नहीं है।

1. **Transaction की Security**

   कोषागार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा IFMS Portal के अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले लेन देन के ब्योरे में प्रविष्टिकर्ता को केवल User ID एवं Pasword (OTP based) की Security प्रदान की गई है, जबकि प्रविष्टिकर्ता को Security हेतु Biometic/Electronic thumb press/ digital certificate based Security भी प्रदान किया जाना चाहिए।
2. **Online मासिक सिविल लेखा**

   Online मासिक सिविल लेखा के e- voucher, IFMS से Download करने पर न तो Digitaly Certified किया जा रहा है, और न ही E- Signature द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है।
3. IFMS Portal में voucher(other voucher) के साथ संलग्न Supporting bill को आहरण तिरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ–voucher no B22100261 date 28/12/2022.
4. IFMS Portal में voucher (salary voucher) के साथ संलग्न Supporting Inner sheet /summary deduction संलग्न नहीं किया जा रहा है।

3.9 सैनिक पेंशनरों को Defence Pension Disbursement Office (DPDO) देहरादून को हस्तानांतरित नहीं किया जाना।

निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड के पत्रांकः 991/22(5)/(ii)सैन्य पेंशन पत्राचार/नि0को0वि0से0/2013 दिनांक 16-09-2013 में दिए हुए निर्देशों के अनुसार सभी सैनिक पेंशनरों को राष्ट्रीय बैंकों से पेंशन दिए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। परन्तु कोषागार चम्पावत एवं कोटद्वार तथा उपकोषागार देवाल एवं सतपुली से पेंशन प्राप्त करने वाले सैनिक पेंशनरों के पी.पी.ओ. इत्यादि Defence Pension Disbursement Officer (DPDO), देहरादून प्रेषित नहीं किये गये हैं।

सैनिक पेंशनरों पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागार/उपकोषागार से किया जा रहा है, का विवरण परिशिष्ट **परिशिष्ट–(16)** में है।

3.10 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं होना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 266/45@XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनरीक्षण कर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि कुछ कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार / उपकोषागार का नाम	पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की संख्या
1.	देवप्रयाग	3
2.	देवाल	1
3.	गैरसैंण	4
4.	अगस्तमुनि	1
5.	घाट	1
6.	नैनीताल	1
7.	रूड़की	4

3.11 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर–3 के अनुसार कोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र–16–ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराना चाहिए परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रामण–पत्र लिया गया। वर्ष 2022–23 में निरीक्षण दलों द्वारा कोषागार अल्मोड़ा, बागेश्वर, साईबर कोषागार, धूमाकोट एवं कोटद्वार में जांचे गये अधिकांश प्रकरणों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन का योग 05 लाख से अधिक है परन्तु इनके आयकर संबंधित कटौती/गणना/बचत संबंधित कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। विवरण निम्नवत् हैः–

कोषागार / उपकोषागार का नाम	क्रम सं0.	पेंशनर का नाम	GRD सं0	वर्ष 2022–23 में आहरित पेंशन (₹) में	कुल पेंशन (₹) में	आयकर कटौती
अल्मोड़ा	1.	श्रीमती सावित्री जीना	C01S20543	2,08,176	7,40,364	शून्य
			C01S71217	5,32,188		
	2.	श्रीमती उषा कपिल	C01S73889	4,82,082	8,10,056	शून्य
			O32S49015	3,27,974		
	3.	श्री गिरीश चन्द्र पन्त	E01S06933	4,66,265	7,69,441	शून्य
			O32S47557	3,03,176		
बागेश्वर	1.	श्री दीवान सिंह	C01F102128	12,88,974	15,91,342	शून्य
			C01S90400	3,02,368		
	2.	श्रीमती कनीज खातून	C01S07706	2,51,704	6,02,438	शून्य
			E03S07374	3,50,734		
	3.	श्रीमती गंगा जोशी	E03S05483	4,01,911	5,29,981	शून्य
			O32F55555	1,28,070		
	4	श्रीमती खकोती गरीया	C01S10411	1,67,300	5,18,085	शून्य
			F03S09082	3,50,785		

साईबर कोषागार	1.	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	O32S55326	10,95,252	15,20,498	शून्य
			E02S00732	4,25,246		
	2.	श्रीमती शीला उप्रेती	E04S00116	6,14,062	7,81,094	शून्य
			O32S12559	1,67,032		
	3.	श्रीमती पुष्पलता शर्मा	E02S01544	3,98,724	7,15,720	शून्य
			O32F31010	3,16,996		
धूमाकोट	1.	राम स्वरूप नौगाई	O32S44887	6,87,900	6,87,900	शून्य
	2.	हरीष चन्द्र मघवाल	E01S03091	7,43,124	7,43,124	शून्य
	3.	शेषमणि	E01S04006	6,69,420	6,69,420	शून्य
	4.	ज्ञान सिहं रावत	E01S02351	6,43,908	6,43,908	शून्य
कोटद्वार	1.	सतेन्द्र सिंह रावत	C01S96245	8,14,986	8,14,986	शून्य
	2.	विनोद कुमार बहुगुणा	C01S20201	8,34,736	8,34,736	शून्य
	3.	राजेन्द्र सिंह रावत	C01S36181	7,25,510	7,25,510	शून्य
	4.	सुनीता देवी	E01F04005	7,70,224	7,70,224	शून्य
	5.	कान्ती देवी	E01S06385	8,95,302	8,95,302	शून्य
	6.	बिहारी लाल	E02S04986	8,03,750	8,03,750	शून्य
	7.	नन्द किशोर ढौंढ़ीयाल	E02S005062	12,16,217	12,16,217	शून्य

3.12 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेंशनरों को भुगतानित पेंशन धनराशि ₹ 22,65,57,453/– के भुगतान की प्रतिपूर्ति न होना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 248–नओ–3–उ/पेंशन/2002 दिनांक 21.10.2003 तथा 449/04/248/नओ–3–उ/पेंशन/02 दिनांक 09.03.2004 के अनुसार 14.01.2001 से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा नियुक्त एवं राज्य बनने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड में नये गठित उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के भुगतान की कार्यवाही को निगमों के कार्मिकों से पेंशन/ग्रेच्यूटी के लिए ली जा रही अंशदान की धनराशि (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 19.08 प्रतिशत) को प्रत्येक माह के लिए अगली माह की 7 तारीख तक राज्य सरकार के खाते में सम्बन्धित निगमों द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य है। अतः निदेशक (लेखा एवं हकदारी) एवं कोषागार स्तर पर पेंशन व ग्रेच्यूटी के भुगतान एवं प्राप्ति का ब्यौरा दोनों निगमों के लिए अलग–अलग रखा जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में कोषागार अल्मोड़ा, चम्पावत एवं लोहाघाट द्वारा **परिशिष्ट–(16)** में दर्शायी गई तालिका के अनुसार भुगतान किया गया है, जिसकी उक्त निगमों द्वारा प्रतिपूर्ति का कोषागार में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया।

परिशिष्ट–(17)

परिशिष्ट
1 से 18 तक

(परिशिष्ट-1) पैरा- 1.2
उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिंग / नान बैंकिंग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1.	1. बेतालघाट	बैंकिंग
				2.	2. कोशियाकुटोली	बैंकिंग
				3.	3. रामनगर	बैंकिंग
				4.	4. कालाढूँगी	बैंकिंग
				5.	5. धारी	बैंकिंग
		2	हल्द्वानी		कोई नहीं	बैंकिंग
2	उधमसिंहनगर	3	उधमसिंहनगर	6.	1. जसपुर	बैंकिंग
				7.	2. काशीपुर	बैंकिंग
				8.	3. बाजपुर	बैंकिंग
				9.	4. गदरपुर	बैंकिंग
				10.	5. किच्छा	बैंकिंग
				11.	6. सितारगंज	बैंकिंग
				12.	7. खटीमा	बैंकिंग
3	अल्मोड़ा	4	अल्मोड़ा	13.	1. भिकियासैंण	बैंकिंग
				14.	2. ताकुला	बैंकिंग
				15.	3. लमगड़ा	बैंकिंग
				16.	4. मौलेखाल	बैंकिंग
				17.	5. चौखुटिया	बैंकिंग
				18.	6. द्वाराहाट	बैंकिंग
				19.	7. दन्या	बैंकिंग
				20.	8. देघाट	बैंकिंग
				21.	9. सोमेश्वर	बैंकिंग
		5	रानीखेत		कोई नही	बैंकिंग
4	पिथौरागढ़	6	पिथौरागढ़	22.	1.बेरीनाग	बैंकिंग
				23.	2.डीडीहाट	बैंकिंग
				24.	3.मुनस्यारी	बैंकिंग
				25.	4.धारचूला	बैंकिंग
				26.	5.अस्कोट	बैंकिंग
				27.	6.थल	बैंकिंग
				28.	7.गणाई गंगोली	बैंकिंग
				29.	8.गंगोलीहाट	बैंकिंग
				30.	9.देवलथल	बैंकिंग
				31.	10- नाचनी	बैंकिंग
5	बागेश्वर	7	बागेश्वर	32.	1. कपकोट	बैंकिंग
				33.	2. गरूड़	बैंकिंग

				34.	3. काण्डा	बैंकिंग
				35.	4. ढुंगनाकुरी	बैंकिंग
6	चम्पावत	8	चम्पावत	36.	1. पाटी	बैंकिंग
				37.	2. लोहाघाट	बैंकिंग
				38.	3. टनकपुर	बैंकिंग
7	देहरादून	9	देहरादून	39.	1. ऋषिकेश	बैंकिंग
				40.	2. विकासनगर	बैंकिंग
				41.	3. मसूरी	बैंकिंग
				42.	4. त्यूनी	बैंकिंग
				43.	5. चकराता	बैंकिंग
		10	साईबर ट्रेजरी, देहरादून		कोई नही	बैंकिंग
8	हरिद्वार	11	हरिद्वार	44.	1. हरिद्वार	बैंकिंग
		12	रूड़की	45.	2. लक्सर	बैंकिंग
9	नई टिहरी	13	नई टिहरी	46.	1. देवप्रयाग	बैंकिंग
				47.	2. घनसाली	बैंकिंग
				48.	3. थत्यूड़	बैंकिंग
				49.	4. प्रतापनगर	बैंकिंग
				50.	5. नैनबाग	बैंकिंग
		14	नरेन्द्रनगर	कोई नही		बैंकिंग
10	रूद्रप्रयाग	15	रूद्रप्रयाग	51.	1.अगस्तमुनी	बैंकिंग
				52.	2.ऊखीमठ	बैंकिंग
				53.	3.जखोली	बैंकिंग
11	पौड़ी	16	पौड़ी गढ़वाल	54.	1.श्रीनगर	बैंकिंग
				55.	2.सतपुली	बैंकिंग
				56.	3.थैलीसैंण	बैंकिंग
				57.	4.धूमाकोट	बैंकिंग
		17	कोटद्वार	कोई नही		बैंकिग
		18	लैन्सडाउन	कोई नही		बैंकिग
12	चमोली	19	चमोली (गोपेश्वर)	58.	1.कर्णप्रयाग	बैंकिंग
				59.	2.थराली	बैंकिंग
				60.	3.जेशीमठ	बैंकिंग
				61.	4.घाट	बैंकिंग
				62.	5.पोखरी	बैंकिंग
				63.	6.गैरसैंण	बैंकिंग
				64.	7.नारायणबगड़	बैंकिंग
				65.	8.देवाल	बैंकिंग
				66.	9.चमोली	बैंकिंग

13	उत्तरकाशी	20	उत्तरकाशी	67.	1.पुरोला	बैंकिंग
				68.	2.भटवाड़ी	बैंकिंग
				69.	3.डुण्डा	बैंकिंग
				70.	4.राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिंग
14	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	21	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		कोई नहीं	बैंकिंग

(परिशिष्ट-2) पैरा-2.2

त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन

क्रम सं0	कोषागार/उपकोषागार का नाम	प्राप्त प्रकरणों की कुल संख्या	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	वांछित सूचना के अभाव में वापस किये गये प्रकरणों की संख्या	कुल संशोधित लेखों की संख्या	समायोजित धनराशि (₹)	
						प्राप्ति	भुगतान
1.	देहरादून	24	24	nil	24	16,78,913	11,49,139
2.	साईबर कोषागार	22	22	nil	22	5,97,11,507	12,99,615
3.	हल्द्वानी	16	16	nil	16	3,20,058	1,51,378
4.	नैनीताल	22	22	nil	22	35,64,070	15,00,000
5.	अल्मोड़ा	12	12	nil	12	4,32,356	--
6.	पिथौरागढ	12	12	nil	12	1,15,100	--
7.	चमोली	09	09	nil	09	1,32,872	--
8.	उत्तरकाशी	01	01	nil	01	17,63,983	--
9.	पौड़ी गढ़वाल	04	04	nil	04	11,21,526	--
10.	रूडकी	12	12	nil	12	13,83,282	--
11.	कोटद्वार	01	01	nil	01	2,24,185	--
12.	लैन्सडोन	01	01	nil	01	2,00,000	--
13.	नई टिहरी	03	03	nil	03	7,05,893	--
14.	पी0ए0ओ0, नई दिल्ली	02	02	nil	02	--	4,00,398
15.	हरिद्वार	01	01	nil	01	1,14,916	--
16.	ऊधमसिंहनगर	33	33	nil	33	15,90,139	--
17.	चम्पावत	12	12	nil	12	2,93,571	--
18.	बागेश्वर	06	06	nil	06	1,61,335	--
19.	रूद्रप्रयाग	25	25	nil	25	11,59,496	--
	कुल योग	**218**	**218**	**nil**	**218**	**7,46,73,202**	**45,00,530**

(परिशिष्ट-3) पैरा-2.3

विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 त्रैमासिक आय–व्यय के

क्र म सं.	बजट नियंत्रण अधिकारियों/ विभागाध्यक्षों का नाम	प्राप्ति शीर्ष	अनुदान सं0	व्यय शीर्ष	1st	2nd	3rd	4th	1st
					व्यय पक्ष मिलान स्थिति				प्रा
1	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।		01	2011, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--
2	सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।		02	2012	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--
3	सचिव/ वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।		03,06, 07	2013, 2070, 2052	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--
4	महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।		04	2014, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, 4,सुभाष रोड, देहरादून।		05	2015	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	--
6	मुख्य राजस्व	0029	06	2029,	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक

	आयुक्त, रिंग रोड, लाड़पुर, देहरादून।			2053, 4059									
7	सचिव, सामान्य प्रशासन, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0070	06,07	2053, 2070, 4059, 2052	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	आंशिक	नहीं
8	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून।	0070	06	2070, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	निदेशक, डा0 रधुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।	0075	06	2070, 2075	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।		06	2245	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	--	--	--	--
11	कार्यालय आयुक्त,	0030,0	07	2030,2040,	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक

	राज्य कर, उत्तराखण्ड मुख्यालय, देहरादून।	040,0045		2045								
12	निदेशक, राष्ट्रीय बचत, 48, बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून।	0047	07	2047	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
13	रजिस्ट्रार, चिट फण्ड, उत्तराखण्ड, 3/23, शास्त्री नगर रोड, देहरादून।	0047, 1475	07	2047	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक
14	प्रमुख, सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049, 2052,3604, 4059, 4216, 4515	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--
15	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049, 2052,3604, 4059,4216, 4515	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	--	--	--	--
16	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।		07	2054	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--

17	निदेशक, विभागीय लेखा, 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।	0071	07	2054, 2071	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
18	सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, विभाग, उत्तराखण्ड।		07	3451,3454, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
19	आयुक्त, आबकारी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	0039	08	2039, 4059	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण
20	सचिव, लोक सेवा आयोग गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार।	0051	09	2051, 4059	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण
21	महानिदेशक, पुलिस, 12, सुभाष रोड, देहरादून।	55	10	2055, 4055, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
22	महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0056	10	2056, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
23	निदेशक, उच्च शिक्षा, नबावी रोड़,	0202	11,30, 31	2202, 4202	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं

	हल्द्वानी ।											
24	निदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उत्तराखण्ड पी–1, नागनाथ रोड, घंघोडा कैन्ट, देहरादून।	0202,	11	2202, 4202	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
25	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, नूनर खेडा, देहरादून।	0202,	11,30, 31	2202, 4202	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
26	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मुख्यालय श्रीनगर, पौडी गढ़वाल, (कैम्पस रा0 पालीटेक्नीक)।	0202	11,30	2203, 4202, 2203	पूर्ण	आंशिक	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
27	निदेशक, खेलकुद एवं युवा कल्याण, रायपूर, देहरादून।	0202	19,11, 30,31	2515, 2204, 4202	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
28	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, एम,डी,डी,ए, कालोनी,	0202	11,30, 31	2205, 4202	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण

	डालनवाला, देहरादून।										
29	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेंवायें, उत्तराखण्ड़ देहरादून।	0210, 0211	12,30, 31	2210, 2211, 4210, 4211	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
30	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड़, देहरादून।	0210	12,30	2210,4210	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	आंशिक	पूर्ण
31	निदेशक, होम्योपैथी सेवायें उत्तराखण्ड, ग्राम गुलराडा, पो0 डाण्डा लखौड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, निकट आई टी0 पार्क, देहरादून।	0210	12,30, 31	2210, 4210	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं
32	प्राचार्य, श्री वीरचन्द्र सिंह, गढ़वाली रा0 आर्युविज्ञान संस्थान, श्रीनगर, पौडी गढ़वाल।	0210	12	2210,4210	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

33	सचिव, जलापूर्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0215	13,30, 31	2215,4215, 2215	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0216, 0217	13,30, 31	2217, 4217	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
35	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उदय विहार, ब्राहमणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड, देहरादून ।		13,19	2217,4217, 2515,4059, 4515	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	_____	_____	_____	_____
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून ।	0220	14,30, 31	2220,4059	आंशिक	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
37	निदेशक, समाज कल्याण, कालाढूंगी रोड, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी, नैनीताल।	0235, 0250	15,30, 31	2225,2235, 2250,2251, 4225,4235, 4250,2225, 2235,4225, 4235	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
38	उप निदेशक, निदेशालय, सैनिक कल्याण		15,30, 31	2225,2225, 2235,4225, 4235	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--

	एवं पुर्नवास उत्तराखण्ड, 15 सी, कालीदास मार्ग, हाथी बड़कला, देहरादून।										
39	आयुक्त, श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0230	16,30, 31	2210,2230, 4216,2210, 2230,4210	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
40	निदेशक, कृषि कैंप कार्यालय, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून।	0401	17,30, 31	2401,2402, 2415,4401, 2401,2402	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	आंशिक	पूर्ण
41	वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।		17	2415,4401	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	--	--	--	--
42	निदेशक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर, ऊधम सिहं नगर।	0401	17,30, 31	2401,4401, 2401	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
43	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, 125,	0425	18,30, 31	2425,4425	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण

	ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून।										
44	आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।	515	07,19, 30,31	4515,2501, 2515,4515, 2501,2515, 4059,4515	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
45	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।	0700, 0701, 0702	20,30, 31	2700,2701, 2702,2705, 2711,4700, 4701,4702, 4711,4700, 4702,4711	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
46	सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।	0801, 0810	21,30, 31	2801,2810, 4801	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक
47	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।	0059	22,30, 31	2059,2216, 3054,4059, 5054,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण
48	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की।	0058	23	2058,4058	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
49	निदेशक, उघोग	0851,	23,30,	2851,2853,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0852, 0853, 0875	31	3425,4851, 4859,4885, 2851							
50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0851, 0852, 0853, 0875	23,30, 31	2851,2853, 3425,4851, 4859,4885, 2851	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
51	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हैलीड्रोम, P.O. कुल्हान, देहरादून 248013	1053	24	3053,5053, 5055	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
52	आयुक्त, परिवहन, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	1055	24,30, 31	3055,5055	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
53	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 8 ए बंगाली लाइब्रेरी रोड, देहरादून।	0408	25	2408,3456, 3475,4408	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण
54	सचिव, खाद्य नियन्त्रक	1475	25	3475	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण

	बाट तथा माप, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।										
55	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, 3/3 इण्डस्ट्रिल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।	1452	26,30, 31	3452,5452	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
56	प्रमुख वन सरंक्षक उत्तराखण्ड, 87 राजपुर रोड, देहरादून।	0406	27,30, 31	2406,2407, 4406,2406, 4406,2406	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण
57	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, पो0 मोथरोवाला, देहरादून।	0403	28,30, 31	2403,4403	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
58	आयुक्त, दुग्ध डेयरी, डेवलेपमेन्ट विभाग, उपनिदेशक डेयरी, विकास विभाग संपर्क, कार्यालय कैपस, आंचल डेरी, रायपुर, देहरादून।	0404	28,30, 31	2404,4404	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

59	निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड, बाड़ासी ग्रान्ट, ग्राम घन्याडी, रायपुर, देहरादून।	0405	28,30, 31	2405,4405, 2405	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
60	निदेशक, उद्यान निदेशालय, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।	0401, 0070	29,30, 31	2401,4401, 2401	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
61	निदेशक, रेशम निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून।	0401, 0815	29,30, 31	2401,4401, 2401	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
62	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।		30,31	2202,2203, 2204,2205, 2210,2211, 2215,2217, 2220,2225, 2230,2235, 2401, 2402,2403, 2404,2405, 2406,2425, 2501,2515, 2801,2810, 2851,4059,	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--

				4202,4210, 4211,4217, 4225,4235, 4403,4406, 4408,4515, 4700,4702 ,4711,4801, 5054,5055, 5452								

(परिशिष्ट-4) पैरा-2.3

त्रैमासिक आय–व्यय आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची

1. सचिव, सामान्य प्रशासन, सचिवालय उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, समाज कल्याण, कालाढूंगी रोड, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी नैनीताल।
3. निदेशक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. सचिव, शहरी विकास निदेशालय, सचिवालय उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(परिशिष्ट-5) पैरा-2.5
वर्ष 2022-23 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण

क्र. सं.	कोषागार	लेखा माह	लेखा प्राप्ति नियत दिनांक	प्राप्ति दिनांक	विलम्ब (दिन)
1	देहरादून	अप्रैल, 2022	09.05.2022*	10.05.2022	1
		मई, 2022	08.06.2022	09.06.2022	1
		जुलाई, 2022	08.08.2022	10.08.2022	2
		अगस्त, 2022	08.09.2022	09.09.2022	1
		सितम्बर, 2022	10.10.2022*	12.10.2022	2
		नवम्बर, 2022	08.12.2022	09.12.2022	1
		जनवरी, 2023	08.02.2023	13.02.2023	5
		फरवरी, 2023	09.03.2023*	13.03.2023	4
		मार्च, 2023	10.04.2023*	12.04.2023	2
2	सी.पी.ए.ओ.देहरादून	फरवरी, 2023	09.03.2023*	14.03.2023	5
		मार्च, 2023	10.04.2023*	On-line	-
3	अल्मोड़ा	मार्च, 2023	10.04.2023*	11.04.2023	1
4	पिथौरागढ़	जनवरी, 2023	08.02.2023	10.02.2023	2
		फरवरी, 2023	09.03.2023*	13.03.2023	4
		मार्च, 2023	10.04.2023*	17.04.2023	7
5	नरेन्द्रनगर	सितम्बर, 2022	10.10.2022*	11.10.2022	1
		मार्च, 2023	10.04.2023*	11.04.2023	1
6	चमोली	मार्च, 2023	10.04.2023*	11.04.2023	1
7	उत्तरकाशी	अप्रैल, 2022	09.05.2022*	12.05.2022	3
		अगस्त, 2022	08.09.2022	12.09.2022	4
		सितम्बर, 2022	10.10.2022*	13.10.2022	3
		जनवरी, 2023	08.02.2023	10.02.2023	2
		मार्च, 2023	10.04.2022*	12.04.2023	2
8	पौड़ी	जून, 2022	08.07.2022	11.07.2022	3
		जुलाई, 2022	08.08.2022	10.08.2022	2
		अगस्त, 2022	08.09.2022	12.09.2022	4
		सितम्बर, 2022	10.10.2022*	13.10.2022	3
		दिसम्बर, 2022	09.01.2023*	12.01.2023	3
		फरवरी, 2023	09.03.2023*	13.03.2023	4
		मार्च, 2023	10.04.2023*	19.04.2023	9

9	कोटद्वार	जुलाई, 2022	08.08.2022	10.08.2022	2
		अगस्त, 2022	08.09.2022	09.09.2022	1
		सितम्बर, 2022	10.10.2022*	14.10.2022	4
		मार्च, 2023	10.04.2023*	12.04.2023	2
10	लैंन्सडॉन	मई, 2022	08.06.2022	13.06.2022	5
		जुलाई, 2022	08.08.2022	12.08.2022	4
		दिसम्बर, 2022	09.01.2023*	11.01.2023	2
		मार्च, 2023	10.04.2023*	17.04.2023	7
11	नई टिहरी	अप्रैल, 2022	09.05.2022*	12.05.2022	3
		मई, 2022	08.06.2022	09.06.2022	1
		सितम्बर, 2022	10.10.2022*	12.10.2022	2
12	ऊधम सिंह नगर	मार्च, 2023	10.04.2023*	13.04.2023	3
13	चम्पावत	मई, 2022	08.06.2022	10.06.2022	2
		फरवरी, 2023	09.03.2023*	10.03.2023	1
		मार्च, 2023	10.04.2023*	13.04.2023	3
14	रूद्रप्रयाग	जुलाई, 2022	08.08.2022	10.08.2022	2
		सितम्बर, 2022	10.10.2022*	13.10.2022	3
		मार्च, 2023	10.04.2023*	17.04.2023	7
15	पी0ए0ओ0 नई–दिल्ली	जुलाई, 2022	08.08.2022	10.08.2022	2
		अक्टूबर, 2022	09.11.2022*	16.11.2022	7
		नवम्बर, 2022	08.12.2022	12.12.2022	4
		फरवरी, 2023	09.03.2023*	10.03.2023	1

*नियत तिथि पर अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को नियत तिथि माना गया है।

(परिशिष्ट-6) पैरा- 2.6.1

वित्तीय वर्ष 2022–23 में 14 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के भुगतान से सम्बन्धित प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया जाना।

क्रम सं0	कोषागार / उपकोषागार का नाम	वापस किये गये प्राधिकार पत्रों की संख्या	पुनः सत्यापित किये गये प्राधिकार पत्रों की संख्या	धनराशि (₹)
1	अल्मोड़ा	03	03	6,53,202
2	चमोली	04	04	2,85,439
3	देहरादून	11	08	23,11,273
4	हल्द्वानी	03	03	2,97,441
5	हरिद्वार	05	05	1,146,679
6	कोटद्वार	01	01	35,225
7	नैनीताल	05	05	13,86,657
8	पौड़ी	04	02	10,55,216
9	पिथौरागढ़	02	02	5,88,480
10	रूड़की	03	03	2,68,359
11	रूद्रप्रयाग	01	01	1,87,772
12	टिहरी	01	01	84,341
13	ऊधमसिंहनगर	11	11	38,18,180
14	उत्तरकाशी	04	03	90,3916
	कुल योग	**58**	**52**	**1,30,22,180**

(परिशिष्ट-07) पैरा- 2.6.2

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 3 प्रकरण 90 प्रतिशत् अधिक भुगतान का संज्ञान में आना।

कम सं0	कोषागार	प्रकरणों की संख्या	धनराशि **(₹)**
1	देहरादून	1	1,12,379
2	ऊधमसिंहनगर	1	18,91,085
3	उत्तरकाशी	1	2,70,991
	कुल योग	**3**	**22,74,455**

(परिशिष्ट-08) पैरा- 2.6.3

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3 कोषागारों के कुल 3 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या और नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस पर पोस्ट नहीं किया जाना।

कोषागार	प्रकरणों की संख्या	धनराशि **(₹)**
देहरादून	01	15,000
हरिद्वार	01	6,500
पौड़ी	01	10,000
कुल योग	03	31,500

(परिशिष्ट-09) पैरा- 2.6.4

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 20 कोषागारों से प्राप्ति के **Full want/Part want** के कुल 681 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित पाया जाना।

कोषागार	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹)
अल्मोड़ा	40	35,700
बागेश्वर	68	-2,73,293
चमोली	17	98,940
चम्पावत	10	42,776
देहरादून, सी0पी0ए0ओ0	01	20
देहरादून	114	-6,71,175
हल्द्वानी	04	-1,801
हरिद्वार	25	-2,96,800
कोटद्वार	12	-64,898
नैनीताल	88	-6,01,479
लैन्सडॉन	---	--
नरेन्द्रनगर	23	-3,32,797
पौड़ी	91	-3,62,999
पिथौरागढ़	03	14,067
रूड़की	05	2,65,563
रूद्रप्रयाग	11	-81,000
नई टिहरी	54	-2,46,100
ऊधमसिंहनगर	11	-4,420
उत्तरकाशी	57	16,22,866
कुल योग	634	-8,56,830

कोषागारवार आर0बी0डी0 में दर्ज विसंगतियां
(परिशिष्ट-10) पैरा- 2.10

कम सं0	कोषागार	संख्या	डेबिट धनराशि (₹)	संख्या	केडिट धनराशि (₹)
1	अल्मोडा	4	4,16,934.00	6	2,31,679.18
2	चमोली	1	24,184.00	0	0.00
3	चम्पावत	0	0.00	2	83,159.00
4	देहरादून	6	4,63,44,610.00	18	2,66,24,974.00
5	हल्द्वानी	1	1.00	0	0.00
6	हरिद्वार	8	5,17,638.92	7	14,61,641.22
7	कोटद्वार	0	0	1	3,45,980.00
8	लैन्सडॉन	0	0	3	1,79,460.00
9	नैनीताल	8	7,33,138.00	6	3,00,935.75
10	नरेन्द्रनगर	1	60,000.00	2	4,934.00
11	नई दिल्ली	2	10,08,881.00	3	1,50,000.00
12	नई टिहरी	16	5,99,45,615.11	18	15,08,54,432.00
13	पौड़ी	7	3,73,745.05	4	10,55,397.03
14	पिथौरागढ़	7	48,01,328.00	8	1,87,674.00
15	रूद्रप्रयाग	0	0.00	3	1,57,01,845.95
16	ऊधमसिंहनगर	10	1,19,70,675.00	4	6,02,47,401.00
17	उत्तरकाशी	3	26,35,254.00	9	50,11,099.00
18	साईबर कोषागार	4	38,81,356.50	28	1,23,18,77,772.19
19	अज्ञात संख्या	6	5,32,68,962.00	3	14,09,120.00
	योग	**84**	**18,59,82,322.58**	**125**	**1,49,57,27,504.32**

(परिशिष्ट-11) पैरा-3.1
वर्ष 2022-23 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	कोषागार नई टिहरी	05.04.2022 से 19.04.2022
2	उपकोषागार प्रतापनगर	21.04.2022 से 23.04.2022
3	उपकोषागार नैनबाग	25.04.2022 से 27.04.2022
4	कोषागार बागेश्वर	05.04.2022 से 19.04.2022
5	उपकोषागार काण्डा	21.04.2022 से 23.04.2022
6	उपकोषागार कपकोट	25.04.2022 से 27.04.2022
7	कोषागार रानीखेत	11.05.2022 से 24.05.2022
8	उपकोषागार सोमेश्वर	26.05.2022 से 28.05.2022
9	उपकोषागार देघाट	30.05.2022 से 01.06.2022
10	कोषागार पौड़ी	18.05.2022 से 28.05.2022
11	उपकोषागार थलीसैंण	30.05.2022 से 01.06.2022
12	उपकोषागार श्रीनगर	03.06.2022 से 06.06.2022
14	कोषागार गोपेश्वर	07.06.2022 से 18.06.2022
15	उपकोषागार घाट	20.06.2022 से 22.06.2022
16	उपकोषागार गैरसैंण	24.06.2022 से 27.06.2022
17	उपकोषागार देवाल	29.06.2022 से 01.07.2022
17	कोषागार अल्मोड़ा	14.06.2022 से 24.06.2022
18	उपकोषागार लमगढ़ा	27.06.2022 से 29.06.2022
19	उपकोषागार दन्या	01.07.2022 से 04.07.2022
20	साईबर कोषागार	04.07.2022 से 15.07.2022
21	कोषागार चम्पावत	25.07.2022 से 04.08.2022
22	उपकोषागार लोहाघाट	05.08.2022 से 08.08.2022
23	उपकोषागार पाटी	10.08.2022 से 12.08.2022
24	कोषागार लैन्सडॉन	22.08.2022 से 01.09.2022
25	उपकोषागार धूमाकोट	03.09.2022 से 06.09.2022
26	कोषागार हरिद्वार	30.08.2022 से 09.09.2022
27	उपकोषागार हरिद्वार	12.09.2022 से 14.09.2022
28	कोषागार रूड़की	06.09.2022 से 17.09.2022
29	उपकोषागार देवप्रयाग	19.09.2022 से 21.09.2022
30	भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	19.09.2022 से 29.09.2022
31	कोषागार रूद्रप्रयाग	26.09.2022 से 07.10.2022
32	उपकोषागार जखोली	31.10.2022 से 02.11.2022
33	उपकोषागार अगस्तमुनि	16.11.2022 से 24.11.2022

34	उपकोषागार ऊखीमठ	16.11.2022 से 24.11.2022
35	कोषागार नरेन्द्रनगर	31.10.2022 से 11.11.2022
36	उपकोषागार घनसाली	14.11.2022 से 16.11.2022
37	उपकोषागार थत्युड़	18.11.2022 से 21.11.2022
38	उपकोषागार कालाढूंगी	21.11.2022 से 23.11.2022
39	कोषागार नैनीताल	24.11.2022 से 05.12.2022
40	उपकोषागार बेतालघाट	07.12.2022 से 09.12.2022
41	कोषागार उत्तरकाशी	21.11.2022 से 01.12.2022
42	उपकोषागार बड़कोट	03.12.2022 से 06.12.2022
43	कोषागार कोटद्वार	12.12.2022 से 22.12.2022
44	उपकोषागार सतपुली	24.12.2022 से 27.12.2022
45	कोषागार देहरादून	02.01.2023 से 12.01.2023
46	कोषागार उधमसिंहनगर	02.01.2023 से 12.01.2023
47	उपकोषागार किच्छा	13.01.2023 से 17.01.2023
48	उपकोषागार गदरपुर	18.01.2023 से 20.01.2023
49	उपकोषागार बाजपुर	21.01.2023 से 24.01.2023
50	निदेशक कोषागार देहरादून	27.01.2023 से 07.02.2023
51	उपकोषागार त्यूनी	09.02.2023 से 13.02.2023
52	उपकोषागार चकराता	15.02.2023 से 17.02.2023
53	उपकोषागार थल	08.02.2023 से 07.02.2023
54	उपकोषागार गंगोलीहाट	13.02.2023 से 15.02.2023
55	उपकोषागार बेरीनाग	17.02.2023 से 21.02.2023
56	कोषागार पिथौरागढ़	23.02.2023 से 06.03.2023
57	कोषागार हल्द्वानी	13.03.2023 से 23.03.2023

(परिशिष्ट-12) पैरा- 3.2.1
नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित धनराशि की कटौती नहीं करने वाले कोषागार/उपकोषागार

क्र.सं.	कोषागार/ उपकोषागार	कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	03	TM/TI/2022-23/17
2	उपकोषागार धूमाकोट	14	TM/TI/2022-23/25
3	कोषागार कोटद्वार	06	TM/TI/2022-23/43
4	कोषागार पौड़ी	03	TM/TI/2022-23/10
5	उपकोषागार लैन्सडॉन	08	TM/TI/2022-23/21
6	उपकोषागार सतपुली	05	TM/TI/2022-23/44
7	उपकोषागार श्रीनगर	10	TM/TI/2022-23/12
8	उपकोषागार थलीसैंण	07	TM/TI/2022-23/11
9	कोषागार देहरादून	07	TM/TI/2022-23/45
	योग	63	

(परिशिष्ट–13) पैरा– 3.2.2

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

कमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	अगस्तमुनि
2	बागेश्वर
3	बेतालघाट
4	चम्पावत
5	चमोली
6	गैरसैंण
7	गदरपुर
8	घाट
9	गोपेश्वर
10	जखोली
11	कालाढूंगी
12	किच्छा
13	कोटद्वार
14	लैन्सडॉन
15	नैनीताल
16	पी0ए0ओ0, नई दिल्ली
17	चकराता
18	त्यूनी
19	पाटी
20	पौड़ी
21	रानीखेत
22	रूड़की
23	रूद्रप्रयाग
24	सोमेश्वर
25	श्रीनगर
26	थलीसैंण
27	पिथौरागढ़
28	देहरादून
29	ऊधमसिंहनगर
30	ऊखीमठ

(परिशिष्ट–14) पैरा– 3.5.1
पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान का विवरण

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	देय राशि (₹) में			कुल देय राशि (₹) में (4) (1+2+3)	भुगतानित राशि (₹) में			कुल भुगतानित राशि (₹) में (8) (5+6+7)	अंतर ;देय. भुगतानित राशि (₹) में (4–8)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
			राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)		राशिकरण (5)	उपादान (6)	पेंशन (7)			
1	लैन्सडॉन	6	21,69,509	53,18,121		74,87,630	21,42,768	50,44,619		71,87,387	300,243	TM/TI/2022-23/21
2	धूमाकोट	4		50,43,264		50,43,264		46,09,859		46,09,859	4,33,405	TM/TI/2021-22/25
3	उपकोषा0 हरिद्वार	6		37,79,618		37,79,618		35,92,017		35,92,017	1,87,601	TM/TI/2022-23/27
4	रूड़की	11		83,60,600		83,60,600		80,79,119		80,79,119	2,81,481	TM/TI/2022-23/28
5	देवप्रयाग	9		58,66,295	2,30,250	60,96,545		54,67,595	92,005	55,59,600	5,36,945	TM/TI/2022-23/29
6	पी0ए0ओ0, नई दिल्ली	1		16,12,000		16,12,000		16,44,240		16,44,240	–32,240	TM/TI/2022-22/30
7	जखोली	9		1,07,45,507		1,07,45,507		1,01,80,502		1,01,80,502	5,65,005	TM/TI/2022-23/32
8	अगस्तमुनि	8		1,12,54,807		1,12,54,807		1,09,28,847		1,09,28,847	3,25,960	TM/TI/2022-23/33
9	ऊखीमठ	9		1,31,27,834		1,31,27,834		1,26,68,266		1,26,68,266	4,59,568	TM/TI/2022-23/34
10	नरेन्द्रनगर	15		96,03,818	47,98,214	1,44,02,032		88,70,366	55,66,801	1,44,37,167	–35,135	TM/TI/2022-23/35
11	घनसाली	9		44,10,937	97,51,432	1,41,62,369		41,32,938	1,07,85,257	1,49,18,195	–7,55,826	TM/TI/2022-23/36
12	थत्यूड़	12		87,30,067	51,85,358	1,39,15,425		85,93,497	52,31,680	1,38,25,177	90,248	TM/TI/2022-23/37
13	उत्तरकाशी	1		6,01,108		6,01,108		6,11,654		6,11,654	–10,546	TM/TI/2022-23/41
14	पौड़ी	19		70,82,387	5,55,1000	1,26,33,387		68,54,772	34,52,4672	4,13,79,444	–28,74,6057	TM/TI/2022-23/10
15	कोटद्वार	8		79,65,411		79,65,411		72,51,748		72,51,748	7,13,663	TM/TI/2022-23/43

16	सतपुली	9		1,18,51,672		1,18,51,672		1,10,28,622		1,10,28,622	8,23,050	TM/TI/2022-23/44
17	देहरादून	22		64,54,078	87,78,000	1,52,32,078		60,20,398	36,46,104	96,66,502	55,65,576	TM/TI/2022-23/45
18	ऊधमसिंहनगर	3		16,75,136		16,75,136		22,24,735		22,24,735	–5,49,599	TM/TI/2022-23/45
19	गदरपुर	2		30,12,821		30,12,821		28,43,539		28,43,539	1,69,282	TM/TI/2022-23/48
20	बाजपुर	3		26,47,674		26,47,674		24,73,497		24,73,497	1,74,177	TM/TI/2022-23/49
21	त्यूनी	6		62,30,103		62,30,103		58,83,990		58,83,990	3,46,113	TM/TI/2022-23/51
22	चकराता	13		1,00,57,816		1,00,57,816		94,95,009		94,95,009	5,62,807	TM/TI/2022-23/52
23	थल	3		21,09,814		21,09,814		20,25,233		20,25,233	84,581	TM/TI/2022-23/53
24	गंगोलीहाट	4		37,52,818		37,52,818		35,60,323		35,60,323	1,92,495	TM/TI/2022-23/54
25	बेरीनाग	4		35,11,662		35,11,662		34,10,861		34,10,861	1,00,801	TM/TI/2022-23/55
26	पिथौरागढ़	6		47,80,420		47,80,420		45,90,713		45,90,713	1,89,707	TM/TI/2022-23/56

(परिशिष्ट-15) पैरा- 3.5.2

अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ कम या नहीं दिया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2022-23/17
		2	पंजाब	
2	कोषागार बागेश्वर	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/04
		1	हिमाचल प्रदेश	
3	उपकोषागार देघाट	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/09
		2	बिहार	
4	उपकोषागार देवप्रयाग	3	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2022-23/29
		5	पश्चिम बंगाल	
		20	पंजाब	
5	उपकोषागार देवाल	1	बिहार	TM/TI/2022-23/16
		8	पश्चिम बंगाल	
6	कोषागार धूमाकोट	3	असम	TM/TI/2022-23/25
		5	गुजरात	
7	उपकोषागार गैरसैंण	10	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/15
		3	बिहार	
		3	हरियाणा	
8	उपकोषागार घाट	2	मणिपुर	TM/TI/2022-23/14
		2	मेघालय	
		1	पश्चिम बंगाल	
		1	पंजाब	
9	कोषागार गोपेश्वर	7	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/13
10	कोषागार हल्द्वानी	1	गुजरात	TM/TI/2022-23/57
		3	बिहार	
		2	पंजाब	
		1	हिमाचल प्रदेश	
11	कोषागार हरिद्वार	4	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2022-23/26
12	कोषागार कोटद्वार	1	नागालैण्ड	TM/TI/2022-23/43
13	कोषागार लैन्सडॉन	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/21
		1	हरियाणा	
14	उपकोषागार नरेन्द्रनगर	5	पंजाब	TM/TI/2022-23/35
15	नई टिहरी कोषागार	1	हरियाणा	TM/TI/2022-23/01
16	कोषागार नई दिल्ली	2	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/30
17	कोषागार पौड़ी	5	पंजाब	TM/TI/2022-23/10
		7	हिमाचल	

18	उपकोषागार प्रतापनगर	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/03
19	कोषागार रानीखेत	1	नागालैण्ड	TM/TI/2022-23/07
		1	बिहार	
		1	हरियाणा	
		1	हरियाणा	
		1	हरियाणा	
		1	हरियाणा	
20	कोषागार रूड़की	2	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/28
		4	हिमाचल प्रदेश	
21	उपकोषागार सतपुली	1	नागालैण्ड	TM/TI/2022-23/44
22	उपकोषागार सोमेश्वर	2	हरियाणा	TM/TI/2022-23/08
		6	पश्चिम बंगाल	
		4	बिहार	
		2	पंजाब	
		1	अरूणाचल प्रदेश	
23	उपकोषागार श्रीनगर	2	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2022-23/12
		2	बिहार	
		8	पंजाब	
24	कोषागार सदर हरिद्वार	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2022-23/27
25	उपकोषागार गंगोलीहाट	1	गुजरात	TM/TI/2022-23/54
		1	पश्चिम बंगाल	
26	उपकोषागार थल	1	गुजरात	TM/TI/2022-23/53
27	उपकोषागार थैलीसैंण	15	पंजाब	TM/TI/2022-23/11
		3	बिहार	
		2	हिमाचल प्रदेश	
28	कोषागार पिथौरागढ	1	गुजरात	TM/TI/2022-23/56
		5	पंजाब	
29	कोषागार देहरादून	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2022-23/45
		1	पंजाब	
		9	हरियाणा	
		2	बिहार	
30	उपकोषागार कालाढूंगी	1	झारखण्ड	TM/TI/2022-23/38
31	कोषागार उत्तरकाशी	3	त्रिपुरा	TM/TI/2022-23/41
		1	पंजाब	
		1	हरियाणा	
		1	असम	
32	उपकोषागार बड़कोट	1	त्रिपुरा	TM/TI/2022-23/42
		1	पंजाब	
33	कोषागार कोटद्वार	1	नागालैण्ड	TM/TI/2022-23/43
34	उपकोषागार त्यूनी	2	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2022-23/51

(परिशिष्ट-16) पैरा- 3.5.3

डाटा बेस में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	21	TM/TI/2022-23/17
2	उपकोषागार अगस्तमुनि	05	TM/TI/2022-23/33
3	उपकोषागार धूमाकोट	20	TM/TI/2022-23/25
4	सदर कोषागार हरिद्वार	10	TM/TI/2022-23/27
5	कोषागार देहरादून	10	TM/TI/2022-23/45
6	उपकोषागार ऊखीमठ	11	TM/TI/2022-23/34
7	कोषागार बागेश्वर	05	TM/TI/2022-23/04
8	उपकोषागार बड़कोट	20	TM/TI/2022-23/42
9	उपकोषागार देघाट	04	TM/TI/2022-23/09
10	कोषागार धूमाकोट	06	TM/TI/2022-23/25
11	उपकोषागार गैरसैंण	39	TM/TI/2022-23/15
12	कोषागार हरिद्वार	10	TM/TI/2022-23/26
13	उपकोषागार काण्डा	05	TM/TI/2022-23/05
14	कोषागार लैन्सडॉन	08	TM/TI/2022-23/21
15	कोषागार नैनीताल	05	TM/TI/2022-23/39
	योग	**179**	15

(परिशिष्ट 17) पैरा-3.9

कोषागार / उपकोषागार का नाम	क्रम सं0	नाम	पी. पी.ओ.सं0
चम्पावत	1.	श्रीमती बसन्ती देवी	M06F02545
	2.	श्रीमती शान्ति देवी	M06F03255
देवाल	1.	श्री रविदत्त	M13D03531
कोटद्वार	1.	श्रीमती गुडडी देवी	M01S01365
	2.	श्री पूर्णानन्द	M01S01473
	3.	श्री रूप सिंह	M01S05983
	.4.	श्री प्रेम लाल	M01S06035
	5.	श्रीमती विमला देवी	M01S06184
	6.	भगदी देवी	M06F01714
	7.	श्रीमती भाना देवी	M06F01724
	8.	श्रीमती गंगोत्री देवी	M06F01735
	9.	श्रीमती कपोत्री देवी	M06F01758
	10.	श्रीमती सुदामा देवी	M06F01767
	11.	श्रीमती जयमती देवी	M06F01774
	12.	श्रीमती कमला देवी	M06F01780
	13.	केदार सिंह	M09S00001
	14.	श्रीमती देवेश्वरी देवी	M13F06023
	15.	श्रीमती सुशीला देवी	M13F10854
	16.	सर्वेश्वरी देवी जुयाल	M14F00279
	17.	श्रीमती झबरी देवी	M14F03006
	18.	श्रीमती दर्शनी देवी	M14F03113
	19.	श्रीमती तुलसा देवी	M14F03200
	20.	श्रीमती सत्यवती देवी	M14F03264
	21.	श्रीमती विघा देवी	M14F03268
	22.	श्रीमती बोनी देवी	M14F03333
	23.	श्रीमती घिंदूरी देवी	M14F03371
	24.	श्रीमती सावित्री देवी	M14F03441
	25.	श्रीमती बेलमा देवी	M14F03446
	26.	श्रीमती जमोत्री देवी	M14F04800

	27.	श्रीमती सूरजी देवी	M14F05027
	28.	श्रीमती विधावती देवी	M14F05332
	29.	श्रीमती चन्दनी देवी	M14F05396
	30.	श्रीमती दीपा देवी	M14F05896
	31.	श्रीमती कृपाल देवी	M14F06358
	32.	श्रीमती इन्द्रादेवी	M14F06413
	33.	श्रीमती गणेशी देवी	M14F06741
	34.	श्रीमती सूरजी देवी	M14F07085
	35.	श्रीमती बसन्ती देवी	M14F07103
सतपुली	1.	श्री जगमोहन सिंह	M06S01490
	2.	श्री खयात सिंह	M06S01493
	3.	श्री आनन्द मनी	M06S01503
	4.	श्री नन्दन सिंह	M06S01536
	5.	श्री दलीप सिंह	M13S00266
	6.	श्री मोती लाल	M13S01262
	7.	श्री उमेद सिंह	M13S01872
	8.	श्री दिलवर सिंह	M13S02003
	9.	श्री विघा दत्त	M13S05448
	10.	श्री बलबीर सिंह	M13S05456
	11.	श्री नरोत्तम लाल	M13S05458
	12.	श्री गजई सिंह	M13S05461
	13.	श्री रतन सिंह	M13S05466
	14.	श्री महीपाल सिंह	M13S05476
	15.	श्री मदन सिंह	M13S05503
	16.	श्री जगमोहन सिंह	M13S05506
	17.	श्री राधा कृष्णा	M13S05511
	18.	श्री रघुवीर सिंह	M13S05517
	19.	श्री प्रेम सिंह	M13S05528
	20.	श्री भारत सिंह	M13S05529
	21.	श्री महावीर प्रसाद	M13S05534
	22.	श्री खुशल सिंह	M13S05542
	23.	श्री बिहारी लाल	M13S05607
	24.	श्री इन्द्रा सिंह	M13S05617

	25.	श्री बची राम	M13S05628
	26.	श्री भोपाल सिंह	M13S05642
	27.	श्री दयाल सिंह	M13S05648
	28.	श्री घनानन्द	M13S05687
	29.	श्री भोला सिंह	M13S05718
	30.	श्री सुल्तान सिंह	M13S05724
	31.	श्री बी0एस0 भण्डारी	M13S05729
	32.	श्री बालकृष्ण	M13S05740
	33.	श्री बिहारी लाल	M13S05743
	34.	श्री बीर सिंह	M13S05801
	35.	श्री जगदीश सिंह नेगी	M13S05803
	36.	श्री आनन्द प्रकाश	M13S05805
	37.	श्री बलवन्त सिंह	M13S05843
	38.	श्री लोकेश्वर सिंह	M13S05883
	39.	श्री सुरेन्द्र सिंह	M13S05886
	40.	श्री परशु राम	M13S05941
	41.	श्री कुन्दन सिंह	M13S09337
	42.	श्री नारायण सिंह रावत	M13S09422
	43.	श्री नवल किशोर	M13S09447
	44.	श्री प्रेम लाल	M13S09479
	45.	श्री हर्षपाल सिंह	M13S09655
	46.	श्री पुष्कर सिंह	M13S09892
	47.	श्री भरोसा सिंह	M13S09952
	48.	श्री रामेश्वर सिंह	M13S09996
	49.	श्री भारत सिंह	M13S09999
	50.	श्री दर्शन सिंह	M14F06980

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेंशनरों को भुगतानित पेंशन धनराशि (₹) 22,65,57,453/– के भुगतान की प्रतिपूर्ति न होना।

(परिशिष्ट-18) पैरा- 3.12

कोषागार/उपकोषागार का नाम	वित्तीय वर्ष : 2019-20		
अल्मोड़ा	कमांक	माह/वर्ष	पेंशन (₹)
	1.	4/2019	46,40,915
	2.	5/2019	75,19,156
	3.	6/2019	43,71,108
	4.	7/2019	42,54,259
	5.	8/2019	43,85,863
	6.	9/2019	41,61,169
	7.	10/2019	49,54,872
	8.	11/2019	44,77,559
	9.	12/2019	48,04,706
	10.	1/2020	70,67,257
	11.	2/2020	42,26,138
	12.	3/2020	42,13,686
		योग-I	**5,90,76,688**
	वित्तीय वर्ष: 2020-21		
	1.	4/2020	42,54,945
	2.	5/2020	42,87,620
	3.	6/2020	42,17,838
	4.	7/2020	43,98,379
	5.	8/2020	43,87,858
	6.	9/2020	67,83,807
	7.	10/2020	62,74,188
	8.	11/2020	68,37,100
	9.	12/2020	43,63,099
	10	1/2021	43,32,553
	11.	2/2021	43,38,026
	12.	3/2021	39,31,983
		योग-II	**5,84,07,396**
	वित्तीय वर्ष: 2021-22		
	1.	4/2021	42,50,909

	2.	5/2021	42,47,304
	3.	6/2021	41,97,728
	4.	7/2021	38,43,745
	5.	8/2021	39,92,396
	6.	9/2021	39,92,870
	7.	10/2021	58,05,388
	8.	11/2021	69,25,622
	9.	12/2021	44,09,354
	10.	1/2022	53,75,108
	11.	2/2022	23,01,907
	12.	3/2022	74,33,717
		योग-III	**5,67,76,048**
		योग-**(I+II+III)**	**17,42,60,132***

कोषागार/उपकोषागार का नाम	वित्तीय वर्ष : **2019-20**		
चम्पावत	कमांक	माह/वर्ष	पेंशन **(₹)**
	1.	Apr-19	5,88,624
	2.	May-19	8,03,542
	3.	Jun-19	5,90,622
	4.	Jul-19	6,31,288
	5.	Aug-19	5,77,779
	6.	Sep-19	6,24,127
	7.	Oct-19	7,12,500
	8.	Nov-19	6,89,891
	9.	Dec-19	6,23,909
	10.	Jan-20	6,85,906
	11.	Feb-20	6,24,532
	12.	Mar-20	6,24,532
	13.	Apr-20	6,24,532
	14.	May-20	6,24,532
	15.	Jun-20	6,24,532
	16.	Jul-20	6,24,532
	17.	Aug-20	6,24,532
	18.	Sep-20	5,96,422

	19.	Oct-20	5,96,422
	20.	Nov-20	5,96,422
	21.	Dec-20	5,96,422
		योग-I	**1,32,85,600**
वित्तीय वर्ष : **2021-22**			
	1.	Jan-21	5,96,422
	2.	Feb-21	5,96,422
	3.	Mar-21	5,61,035
	4.	Apr-21	6,96,393
	5.	May-21	6,18,777
	6.	Jun-21	6,45,286
	7.	Jul-21	6,18,777
	8.	Aug-21	5,28,293
	9.	Sep-21	5,87,201
	10.	Oct-21	8,28,284
	11.	Nov-21	7,88,291
	12.	Dec-21	6,82,307
	13.	Jan-22	7,62,374
	14.	Feb-22	6,63,466
	15.	Mar-22	5,94,860
		योग-II	**97,68,188**
		योग-**(I+II)**	**2,30,53,788***

कोषागार/उपकोषागार का नाम	वित्तीय वर्ष : **2019-20**		
लोहाघाट	क्रमांक	माह/वर्ष	पेंशन **(₹)**
	1.	Apr-19	7,07,784
	2.	May-19	15,81,855
	3.	Jun-19	65,271
	4.	Jul-19	21,07,039
	5.	Aug-19	7,08,317
	6.	Sep-19	7,44,105
	7.	Oct-19	8,67,156
	8.	Nov-19	7,83,786
	9.	Dec-19	8,26,335
	10.	Jan-20	7,93,531

	11.	Feb-20	0
	12.	Mar-20	7,93,531
	13.	Apr-20	7,93,531
	14.	May-20	8,74,331
	15.	Jun-20	8,39,945
	16.	Jul-20	16,18,170
	17.	Aug-20	0
	18.	Sep-20	8,09,260
	19.	Oct-20	8,10,891
	20.	Nov-20	7,90,720
	21.	Dec-20	8,02,736
		योग-I	**1,73,18,294**
		वित्तीय वर्ष : **2021-22**	
	1.	Jan-21	8,02,926
	2.	Feb-21	8,04,911
	3.	Mar-21	8,04,911
	4.	Apr-21	7,53,197
	5.	May-21	8,56,625
	6.	Jun-21	8,04,911
	7.	Jul-21	8,04,911
	8.	Aug-21	7,05,458
	9.	Sep-21	7,45,653
	10.	Oct-21	8,05,571
	11.	Nov-21	1,56,320
	12.	Dec-21	8,83,282
	13.	Jan-22	8,26,340
	14.	Feb-22	12,54,121
	15.	Mar-22	9,16,102
		योग-II	**1,19,25,239**
		योग-**(I+II)**	**2,92,43,533***

*कोषागार अल्मोडा, चम्पावत एवं लोहाघाट के वर्ष 2019—20 से 2021—22 तक का कुल योग **(₹)** 22,65,57,453/— (**17,42,60,132+2,30,53,788+2,92,43,533**)।